

Order Sheet

Case No. BA 39/12/2017

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
20/11/17	<p>आवेदक/आरोपी श्री प्रीति पत्नी अजबसिंह कश्यप की ओर से श्री <u>रा. क. समाधि एडवोकेट</u> अधिवक्ता ने एक जमानत आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 438/439 जा0फो0 का पेश किया।</p> <p>नकल संबंधित थाना प्रभारी की ओर भेजकर केश डायरी मय प्रतिवेदन बुलाया जाये/संबंधित अभिलेख बुलाया जावे।</p> <p>आवेदन विविध आपराधिक पंजी में दर्ज किया जावे।</p> <p>प्रकरण केश डायरी प्रतिवेदन/अभिलेख प्राप्ति/तर्क हेतु दिनांक 21/11/17 को पेश हो।</p> <p>पो सी आर विशेष न्यायाधीश (डकैती) गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)</p>	<p>21/11/17</p> <p><i>[Signature]</i></p>

21/01/2017

11:15 to 11:30 A.M

आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह द्वारा श्री A.K. समाधि अधिवक्ता।

राज्य द्वारा श्री भगवानसिंह अपर लोक अभियोजक।

थाना गोहद के अपराध क्रमांक-376/2016 धारा-394, 459 भादवि0 सहपठित धारा-11, 13 डकैती अधिनियम के अपराध की केस डायरी प्राप्त।

इसी समय फरियादी/अनावेदक की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जमानत आवेदनपत्र पर आपत्ति पेश की, नकल आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह के विद्वान अधिवक्ता को दी गयी। उन्होंने लिखित जवाब पेश नहीं करते हुए मौखिक विरोध किया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं को आरोपिया/आवेदिका

पो सी आर
विशेष न्यायाधीश
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

प्रीति पत्नी अजबसिंह की ओर से प्रस्तुत नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 द.प्र.सं. पर सुना गया ।

आवेदक अधिवक्ता ने आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह के प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र होना बताते हुए जमानत पर मुक्त किये जाने का निवेदन किया समर्थन में अजबसिंह का शपथपत्र पेश किया है। इसलिये आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह के प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।

आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह का कहना है कि पुलिस ने उसको झूठा फंसाया है, वह ग्राम मादौनकला तहसील व थाना मिछोर जिला शिवपुरी की स्थानीय निवासी होकर पर्दानशीन महिला है। उनके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया । उसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। उसका एक छोटा पुत्र छोटू है व एक पुत्र राजा है जो दूधपीता हुआ बच्चा है, जो अपनी मां के बिना उसका र हना अलग नहीं रह सकता है। वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगी तथा वह जमानत की शर्तों का पालन करेगी, साक्ष्य को प्रभावित नहीं करेगी, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला डकैती अधिनियम से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, आरोपिया/आवेदिका प्रीति पत्नी अजबसिंह को जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगी, अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

आपत्तिकर्ता रामकुमार की ओर से आपत्ति में लेख किया गया है कि घटना दिनांक की दरम्यानी रात को आरोपियों द्वारा उसके माता पिता मरणासन्न हालत में छोड़कर सोने चांदी एवं नगदी की लूट की घटना को अंजाम देकर आवेदिका का सामान सुपुर्द किया है इससे वह अपराध में पूर्ण रूप से संलिप्त रही है उससे जेवरतों की जब्ती हुई है, उसका अपराध जघन्य श्रेणी का है, ऐसी स्थिति में उसका जमानत आवेदन निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गयी है।

प्रस्तुत केस डायरी के अवलोकन से प्रकट हो रहा है फरियादी रामकुमार गुप्ता ने थाना पर देहाती नालिसी

पो. मि. अ. अ.
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
मिछोर जिला- भिण्ड (म.प्र.)

Order Sheet [Contd]

II-156
C.J.(E)

Case No. 39 of 2017

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessar
	<p>इस आशय की लेख करायी कि-दि0-24/12/2016 को शमा करीब 04:30 बजे गोहद से अपने बच्चों के पास ग्वालियर चला गया था उसके माता पिता गोहद के घर में रहते हैं, सुबह करीब 7 बजे उसके घर के सामने रहने वाले गिराज गुप्ता ने मोबाइल फोन से बताया कि माताजी, पिताजी के सिर में काफी चोट होकर घायल हैं तथा घर का सामान बिखरा पड़ा है, जल्दी आ जाओ तो फरियादी तुरंत ही ग्वालियर से घर पर आया और घर का सामान देखा तो सब बिखरा पड़ा था, सोने चांदी के कीमती जेवरात तथा जगदी गायब थे, माताजी, पिताजी घायल होने से लोगों ने अस्पताल पहुंचा दिये थे, जहां रैंफर होकर इलाज के लिए ग्वालियर चले गये हैं, फरियादी ने सामान चैक किया तो उसकी जानकारी अनुसार घर में रखे सोने के सीतारानी हार, तीन मंगलसूत्र, दो सोने की जंजीर, चार सोने की अंगूठियां, 12 हाथ का कंगन एक, तथा नीचे ऑफिस एवं दुकान की नगदी करीब डेढ़ लाख रुपये व उसकी मां की अलमारी में रखी नगदी करीब पचास हजार रुपये रेजगारी करीब 8-10 हजार रुपये तथा घर में रखे चांदी के जेवरात तोड़ियां, बिछिया आदि करीब एक किलो बजनी, चोरी गये सोने जेवरात का बजन करीब 45 तोला है, चोरी गये सामान की कीमत करीब 15 लाख रुपये है, उसके पिताजी ने बताया कि बदमाशों ने उनकी मारपीट की थी, मजबूत कद काठी के तथा चेहरे पर कपड़ा बंधा था, स्थानीय भाषा बोल रहे थे।</p> <p>उक्त आशय की देहाती नालिसी अपराध क्र.-0/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत निरीक्षक आशाराम गौतम ने लेख की, जिसपर से थाना गोहद के अपराध क्रमांक-376/2016 धारा-394, 459 भा.दं.वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गयी।</p> <p>विवेचना के दौरान आरोपी शकील खां के मेमोरेण्डम मुताबिक उसने लूटा सामान अपनी मां हज्जोबाई, अपनी पत्नी शबनम एवं अपनी प्रेमिका आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल को दे देना बताया था, जिसपर से आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल से लूटे गये जेवरात जब्त हुए हैं। जहां तक आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल को झूठा फंसाये जाने का आधार लिया गया है, वह गुणदोषों पर निराकरण के समय देखा जाना है, वर्तमान स्टेज पर इस संबंध में निष्कर्ष नहीं</p>	

पो. सी. आन
विशेष न्यायाधीश (डकैत)
गोहद जिला- भिण्ड (म.प्र.)

दिया जा सकता है एवं संकलित साक्ष्य के आधार पर आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल के विरुद्ध धारा 11/13 एम.पी.डी.पी.के. एक्ट का अपराध होने से धारा 5 (2) का वर्जन होने से इस स्टेज पर आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है ।

अतः आरोपिया/आवेदिका श्रीमती प्रीति बघेल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ. वाद विचार गुणदोषों पर टीका टिप्पणी किए बिना **निरस्त किया जाता हैं।**

आदेश की प्रति बण्डल प्रकरण में संलग्न की जाये।

इस प्रकरण का परिणाम दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो।

{पी0सी0 आर्य}

विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड म.प्र.